न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

(न्याय आपके द्वार केम्प सेमलिया घांटा)

नाम पीठासीन अधिकारी – श्री गोपाललाल स्वर्णकार आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या– 1/2018 (अपील)

दायर दिनांक– 29.1.2018

फैसल दिनांक–27.6.2018

(केम्प सेमलिया घांटा)

अनवान

1– श्रीमती जशोदा पत्नि नरेश पाटीदार निवासी खुमानपुर तहसील गलियाकोट

(अपीलाण्ट)

बनाम

1– ग्राम पंचायत सेमलिया घांटा जरिये सरपंच /सचिव ग्राम पंचायत सेमलियाघांटा

2– सरकार जरिये तहसीलदार गलियाकोट ।

(रेस्पोडेण्ट)

वकील अपीलाण्ट– श्री सी0पी0गांधी

वकील रेस्पोडेण्ट – –

अपील विरूद्ध ग्राम खुमाणपुर के नामान्तरकरण संख्या 780 पर पारित आदेश दिनांक 14.10.2017

निर्णय

अपील अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम खुमाणपुर तहसील गलियाकोट के नामान्तरकरण संख्या 780 जो अपिलाण्ट के पक्ष में दायर किया गया था उस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ग्राम पंचायत सेमलिया घांटा द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2017 जिसके द्वारा नामान्तरकरण को निरस्त किया गया है से व्यथित एंव असन्तुष्ट होकर निवेदन किया गया है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश न्याय ,नियम एवं उपलब्ध दस्तावेज के विरूद्ध होने से काबिल निरस्ती के है । यह कि अपीलाण्ट द्वारा ग्राम खुमानपुर की जमाबन्दी संवत 2071–74 के खाता संख्या 196/190 में अंकित खातेदारी कृषि भूमि

आराजी संख्या 213 का रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा किस्म बीड तय प्रतिफल चुकाते हुए इसके खातेदार से कय कर कब्जा प्राप्त किया तथा दस्तावेज विकय विलेख दिनांक 1.8.2017 को संपादित करवा दिनांक 2.8.17 को इसे उपपंजियक को प्रस्तुत कर आवश्यक पंजियन शुल्क जमा करा पंजिकृत करवाया है । उक्त पंजिकृत दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकार्ड में आवश्यक अमल दरामद कर अपीलाण्ट का नाम दर्ज कराने हेतु आवेदन करने पर पटवारी हल्का द्वारा विधिवत नामान्तरकरण संख्या 780 भरा गया एवं बाद जांच भू0अ0नि0 के इसे ग्राम पंचायत सेमलिया घांटा के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया । यह कि ग्राम पंचायत सेमलिया घांटा रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने नामान्तरकरण बाबत विधिक प्रकिया अपनाये बगैर ही आदेश दिनांक 14.10.2017 द्वारा इसे निरस्त कर दिया है जो विधि की प्रकिया अपनाये बगैर का आदेश होने से निरस्त योग्य है । यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व न तो अपीलाण्ट को किसी प्रकार की सूचना दी गई एवं न ही अपीलाण्ट को सुनवाई तथा अपना पक्ष रखने का ही अवसर प्रदान किया है जिससे पारित अपीलाधीन आदेश विधि के विपरित होने से निरस्त योग्य है । यह कि अपीलाण्ट द्वारा विधिक प्रकियाओं का पालन करते हुए भूमि को कय किया है इसका कब्जा मौके पर प्राप्त किया है तथा दस्तावेज का विधिवत पंजियन कराया गया है एवं आज भी अपीलाण्ट मौके पर काबिज काश्त है जिससे रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने अपीलाधीन नामान्तरकरण को निरस्त करने की विधिक त्रूटि एंव भारी भूल की है ।

अपीलाण्ट द्वारा अपील प्रार्थनापत्र के अन्त में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुए ग्राम खुमानपुर के नामान्तरकरण संख्या 780 पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.10.2017 को निरस्त किया जाने तथा पंजिकृत दस्तावेज के अनुसार अपीलाण्ट के पक्ष में नामान्तरकरण हेतु आदेश रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के नाम किए जाने का निवेदन किया गया है । अपीलाण्ट द्वारा अपील की पुष्टि में शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए नकल नामान्तरकण ,पंजिकृत दस्तावेज कीनकल ,जमाबन्दि एंव खसरा गिरदावरी की नकल प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जवाब हेतु सम्मन जारी किए गए । रेस्पोडेण्ट संख्या 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 2 की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं होने से जवाब बन्द किया जाने आदेश दिए जाकर वकील अपीलाण्ट की एक पक्षीय बहस सूनी गई ।

योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज विकय विलेख का उल्लेख करते हुए बताया कि अपीलाण्ट द्वारा खातेदार विकेता की भूमि नियमानुसार विकय विलेख दस्तावेज पंजियन करा कर कय की गई है । रेस्पोडेण्ड संख्या 1 के द्वारा बिना अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिए एवं बिना किसी प्रकार की सूचना के नामान्तरकरण निरस्त कर दिया गया है । अतः अपीलाण्ट के पक्ष में दर्ज नामान्तरकण बिना

किसी सूचना एवं विधिक प्रकिया से निरस्त किया जाने से नामान्तरकरण निरस्ती आदेश दिनांक 14.10.2017 को निरस्त किया जाकर पंजिकृत दस्तावेज अनुसार नामान्तरकरण हेतु आदेश पारित किए जाने का निवेदन कर अपनी बहस समाप्त की गई ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव योग्य अभिभाषक अपीलाण्ट की बहस पर मनन किया । पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज जमाबन्दी संवत 2071–74 खाता संख्या 196 ग्राम खुमानपुर में खातेदार के स्थान पर रोहितपुरी गुरू बालकृष्ण पुरी महन्त निरंजनी अखाडा क्षीरेश्वर सा. खडगदा खातेदार दर्ज रेकार्ड है । दस्तावेज विकय विलेख अनुसार उक्त खातेदार द्धारा अपीलाण्ट को उक्त खाते के खसरा नम्बर 213 में रकबा 7 बीघा 11 बिस्वा अपीलाण्ट को बेचान जरिये विधिवत पंजियन विकय विलेंख द्धारा किया गया है । राजस्व विभाग द्धारा भी पंजियन विकय विलेख के आधार पर उक्त बेचान का नामान्तरकरण संख्या 780 केता के पक्ष में दायर किया गया है लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्धारा नामान्तरकरण पर अंकन कि "उक्त भूमि आस पडोस के गांवो के सहयोग से क्षीरेश्वर होस्पीटल हेतु कय की गई थी ,निरंजनी अखाडा क्षीरेश्वर वागड क्षेत्र की आस्था का केन्द्र है जनता में असन्तोष होने से कोरम द्धारा आस पडोस की जनता के विचारों को ध्यान में रखते हुए सर्व सम्मति से नामान्तरकण निरस्त किया गया है "अंकित किया जाकर नामान्तरकरण निरस्त किया गया है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 2 के द्धारा नामान्तरकरण पर निर्णय के पूर्व अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना था लेकिन रेस्पोडेण्ट संख्या 1 द्धारा नामान्तरकरण निरस्ती के पूर्व अपीलाण्ट को न तो किसी प्रकार की सुचना दी गई है एवं निर्णय के पूर्व सुनवाई का अवसर भी प्रदान किए बिना एक तरफा कार्यवाही की गई है ।

अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर मौजा खुमानपुर का नामान्तरकरण संख्या 780 निरस्त किया जाकर पत्रावली इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलाण्ट को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाकर पुनः निर्णय पारित करें ।

पत्रावली फैसल शुमार हो ।नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 27.6.2018 को सुनाया गया ।

(गोपाललाल स्वर्णकार)
उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा जिला डूँगरपुर

कमांक/राजस्व/ईजराय /2018/898 दिनांक 26.7.18

तहसीलदार

गलियाकोट ।

विषय :– निर्णयानुसार कार्यवाही करने बाबत ।

प्रसंग :– इस न्यायालय का अपील प्रकरण संख्या 1/18

अनवान

श्रीमती जशोदा पत्नि नरेश पाटीदार बनाम ग्राम पंचायत सेमलियाघांटा
निवासी खुमानपुर

–

उपरोक्त विषयान्तर्गत अनवान के प्रकरण में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.6.2018 प्रति संलग्न कर भेंजी जा रही है।

अतः नियमानुसार कार्यवाही करें ।

संलग्न – निर्णय

उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा